



## UAPA के तहत ज़मानत

### प्रलिस के लयि:

[सर्वोच्च न्यायालय](#), [वधिविरुद्ध करयि-कलाप \(नवारण\) अधनियम](#), [राष्ट्रीय जाँच एजेंसी](#), [साइबर आतंकवाद](#), [न्यायकि समीक्षा](#)

### मेन्स के लयि:

UAPA के तहत ज़मानत प्रावधानों से संबंधति प्रमुख न्यायकि घोषणाएँ, UAPA से संबंधति चतिाएँ।

[स्रोत:इंडयिन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) द्वारा कथति खालसितान मॉडयूल में शामिल एक आरोपी को यह कहते हुए ज़मानत देने से इनकार कर दयिा कि ज़मानत नयिम है, जेल अपवाद है (Bail is Rule, Jail is Exception) का सदिधांत [वधिविरुद्ध करयि-कलाप \(नवारण\) अधनियम \(UAPA\)](#) के तहत लागू नहीं है।

## UAPA के अंतर्गत ज़मानत का प्रावधान कैसे विकसति हुआ?

- **वर्ष 2008: UAPA संशोधन अधनियम, 2008 में धारा 43 D(5)** प्रसतुत की गई, जिसके तहत न्यायालय को यह मानने के लयि उचति आधार होने पर ज़मानत देने से इनकार करना आवश्यक था कि आरोपी के खिलाफ मामला प्रथम दृष्टया सच था।
  - इसके लयि अभयुक्त को न्यायालय को यह वशिवास दलाना आवश्यक है कि आरोपी को प्रथम दृष्टया सत्य मानना अनुचति है।
  - इस बोझ को आरोपी पर डालकर, आपराधिक कानून का मूल सदिधांत जो दोषी साबति होने तक नरिदोष माना जाता है UAPA के ढाँचे के भीतर बदल दयिा गया है।
- **वर्ष 2016:** धारा 43D (5) के सखत प्रावधानों के बावजूद न्यायपालकि ने **एंजेला हरीश सोनटकके बनाम महाराष्ट्र** राज्य मामले में ज़मानत दे दी। यह लंबी हरिसत अवधि एवं त्वरति सुनवाई की संभावना को देखते हुए कयिा गया था, जो आरोपी के जेल में बतिाए गए समय तथा कथति अपराध के बीच संतुलन बनाने के महत्त्व को रेखांकति करता है।
- **वर्ष 2019: राष्ट्रीय जाँच एजेंसी बनाम जहूर अमहद शाह वताली** फैसले ने धारा 43D (5) की एक संकीरण व्याख्या प्रदान की, जिसमें कहा गया कि न्यायालय को मामले की खूबयियों पर ध्यान दयिा बिना घटनाओं के NIA के संस्करण को स्वीकार करना चाहयिि, इस प्रकार आरोपी के बाद ज़मानत को सुरक्षति करना कठनि हो जाता है। NIA द्वारा फंसाया गया है।
- **वर्ष 2021: भारत संघ बनाम के.ए. नजीब** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे समय तक कारावास (कैद या हरिसत में रहने) के कारण **अनुच्छेद 21** के अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर ज़मानत देने की संभावना पर प्रकाश डाला।
  - **NCT दलिली राज्य बनाम देवांगना कलतिा** मामले में दलिली उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों को NIA के नषिकर्षों से अलग कर दयिा, जिसके कारण प्रथम दृष्टया मामला स्थापति करने में NIA की वफिलता के आधार पर ज़मानत दे दी गई।
- **वर्ष 2023: वर्नोन गौंसालवेस बनाम महाराष्ट्र राज्य** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ज़मानत देने के लयि "प्रथम दृष्टया सत्य" परीक्षण पर पछिले वताली फैसले से हटते हुए साक्षय वशिलेषण की आवश्यकता पर ज़ोर दयिा।
  - हालाँकि हालयिा मामले में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने गौंसालवेस के फैसले को नज़रअंदाज़ करते हुए वशिष रूप से वताली पूर्व उदाहरण का पालन करते हुए ज़मानत देने से इनकार कर दयिा।
  - वभिनिन पीठों की परस्पर वरिधी व्याख्याएँ UAPA के तहत जमानत प्रावधानों की स्थरिता और अनुप्रयोग पर सवाल उठाती हैं।

## UAPA क्या है?

- **पृष्ठभूमि:** 17 जून, 1966 को राष्ट्रपति ने "व्यक्तयियों और संघों की गैरकानूनी गतिवधियियों की अधिक प्रभावी रोकथाम प्रदान करने हेतु" वधिविरुद्ध करयि-कलाप (नवारण) अध्यादेश लागू कयिा था।
  - कड़े कदम की शुरुआत से संसद में हंगामा मच गया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को इसे वापस लेना पड़ा।
  - इसके बाद, **वधिविरुद्ध करयि-कलाप (नवारण) अधनियम 1967**, जो अध्यादेश से भनिन था, अधनियमति कयिा गया था।

- **परचिय:** UAPA एक कानून है जिसका उद्देश्य अवैध गतिविधियों को रोकना और आतंकवाद से निपटना है। इसे "आतंकवाद वरिधी कानून" के नाम से भी जाना जाता है।
  - गैरकानूनी गतिविधियों को भारत के किसी भी हिस्से के वलिय या अलगाव का समर्थन करने या उकसाने वाली कार्रवाइयों या इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाने या अनादर (Disrespecting) करने वाली कार्रवाइयों के रूप में परभाषित किया गया है।
- **राष्ट्रीय अनुवेषण अभकिरण (NIA)** को देशभर में मामलों की जाँच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार UAPA द्वारा दिया गया है।
- **संशोधन:**
  - इसमें वर्ष **2004, 2008, 2012 और हाल ही में वर्ष 2019 में कई संशोधन हुए**, जिसमें आतंकवादी वित्तपोषण, **साइबर-आतंकवाद**, व्यक्तिगत पदनाम तथा संपत्ति ज़िब्ती से संबंधित प्रावधानों का वसितार किया गया।
- **संबंधित चिंता:**
  - **कम दोषसिद्धिदर:** UAPA के तहत वर्ष 2018 और 2020 के बीच 4,690 लोगों को गरिफ्तार किया गया, लेकिनकेवल **3% को दोषी ठहराया गया**।
  - **व्यक्तपिरक व्याख्या:** अवैध गतिविधियों की व्यापक परभाषा व्यक्तपिरक व्याख्याओं की अनुमति देती है, **जसिसे यह वशिष्ट समूहों या व्यक्तियों के खिलाफ उनकी पहचान या वचिारधारा के आधार पर संभावित दुरुपयोग के प्रतिसंवेदनशील हो जाती है**।
  - **सीमति न्यायकि समीक्षा:** वर्ष 2019 का संशोधन सरकार को बिना किसी **न्यायकि समीक्षा** के व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामति करने का अधिकार देता है, जसिसे कानून की उचित प्रक्रिया और मनमाने ढंग से पदनाम की संभावना के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

## आगे की राह

- **उन्नत नरीक्षण:** UAPA के दुरुपयोग को रोकने के लिये मज़बूत नरीक्षण तंत्र को लागू करना, जिसमें इसके कार्यान्वयन की नयिमति समीक्षा और **संवेधानकि सिद्धांतों तथा मानवाधिकार मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिये न्यायकि जाँच को मज़बूत करना** शामिल है।
- **स्पष्ट परभाषाएँ:** व्यक्तपिरकता और दुरुपयोग की संभावना को कम करने के लिये गैरकानूनी गतिविधियों की परभाषा को परष्कृत तथा सीमति करने की आवश्यकता है।
- **समयबद्ध जाँच और परीक्षण:** लंबी हरिसत को रोकने और कुशल न्यायकि प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिये जाँच तथा परीक्षणों हेतु स्पष्ट समय-सीमा स्थापति करें।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. भारत सरकार ने हाल ही में वधिविरुद्ध क्रियाकलाप (नविरण) अधनियम, (यू. ए.पी. ए.), 1967 और एन. आई. ए. अधनियम के संशोधन के द्वारा आतंकवाद-रोधी कानूनों को मज़बूत कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा वधिविरुद्ध क्रियाकलाप (नविरण) अधनियम का वशिध करने के वसितार और कारणों पर चर्चा करते समय वर्तमान सुरक्षा परविश के संदर्भ में परविरतनों का वशिलेषण कीजिये। (2019)